

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प01(31)एमई/ग्रुप-1/14

जयपुर, दिनांक: 11-9-17


आदेश

चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद पर स्वयं के कार्य के अतिरिक्त कार्य सम्पादन हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यव्यवस्थान्तर्गत नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा अन्य आदेश जारी होने, दोनों में से जो भी पहले हो के लिए सहमति प्रदान की जाती है-

1. श्री अशोक कुमार जांगिड़, लिपिक श्रेणी प्रथम
2. श्री सिद्धार्थ जाटवा, लिपिक श्रेणी द्वितीय

यह सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त कार्मिक किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभ की मांग नहीं करेंगे तथा अपने स्वयं के मूल कार्य में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देंगे।


आदेश से,


(रतन लाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव